उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-109/2018/2088/92-2-2018-33जांच/2018
लखनऊ :: दिनांक:: 10 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में वर्ष 2016 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में बरती गयी अनियमितताओं हेतु श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड-सम्भल के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मुरादाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में विभागीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-109 /2018/2088(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मुरादाबाद को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र (संलग्नक सहित) मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री चन्द्रवीर, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति प्रखण्ड सम्भल द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in